टी०ए० मिस केस सं० 55/2019-20

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
16-09-19	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक श्री माड़की देवगम, पिता– स्व० जबला देवगम, निवासी ग्राम– खप्पारसाई, थाना– मुफ्फसिल, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– खप्परसाई, थाना नं०– 109 के अन्दर खाता नं०– 70, प्लॉट नं०– 646, रकवा– 0.08½ एकड़ भूमि क्रेता सुमित्रा सुन्डी, पिता–जय सिंह सुन्डी, ग्राम– गुईरा, थाना– मुफ्फसिल चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के दादा एंव अन्य के नाम पर खातियान दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 610 दिनांक– 4.09.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बीमारी का ईलाज हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता सुमित्रा सुन्डी, पिता– जय सिंह सुन्डी, ग्राम– गुईरा, थाना– मुफ्फसिल चाईबासा के पास 4,50,000.00/– (चार लाख पचास हजार) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना मुफ्फासिल के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में श्री माड़की देवगम, पिता– स्व० जबला देवगम, निवासी ग्राम–खप्परसाई, थाना– मुफ्फसिल, क्रेता सुमित्रा सुन्डी, पिता– जय सिंह सुन्डी, ग्राम– गुईरा, थाना– मुफ्फसिल चाईबासा के पास जमीन को कुल 4,50,000.00/–(चार लाख पचास हजार) में मौजा– खप्परसाई, थाना नं०– 109 के अन्दर खाता नं०– 70, प्लॉट नं०– 646, रकवा– 0.08½ एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित 16/9/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। 16/9/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner